UPM0010042022022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–(सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

सत्र परीक्षण संख्या–1104/2022

उत्तर प्रदेश राज्य

--------अभियोजन पक्ष

बनाम

1– नजाकत पुत्र खैराती,
2– लियाकत पुत्र खैराती **(दौराने विचारण मृतक),**
3– जहीरुद्दीन पुत्र वशीरुद्दीन,
4– सैजुद्दीन पुत्र सुद्दी, **(दौराने विचारण मृतक)**
निवासीगण–ग्राम सक्टू नंगला, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद ।

-------अभियुक्तगण ।

मुकदमा अपराध संख्या–57/1981
धारा–394, 307 सपठित धारा–34,
397 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–सिविल लाइन्स, जिला–मुरादाबाद।

–: निर्णय :–

(1)– मुकदमा अपराध संख्या–57/1981, थाना सिविल लाइन्स, जिला मुरादाबाद में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करके अभियुक्तगण नजाकत, लियाकत, जहीरूद्दीन व सैजुद्दीन के विरूद्ध धारा 394, 307, 397 भारतीय दण्ड संहिता में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.07.19981 के द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में तलब किये जाने के पश्चात् उक्त प्रकरण को सत्र न्यायालय में सुपुर्द किये जाने पर विचारण प्रारम्भ हुआ।

(2)– मुकदमे का संक्षिप्त विवरण :– प्रस्तुत प्रकरण का अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादिनी मुकदमा नगीना ग्राम सक्टू नंगला, थाना मूंढापाण्डे, जिला

मुरादाबाद की रहने वाली है। हमारे ग्राम में ग्राम माड़ली, थाना मैनाठेर के छोटे शेख की करीब 6–7 बीघा जमीन है, जिसका सौदा मेरे पोते रमजानी पुत्र नजीर से हो गया था। उसने 2100/– रूपये भी छोटे शेख को दे दिये थे, लेकिन सौदा कैन्सिल हो गया था। कल व तारीख 14.01.1981 को छोटे ने मौहल्ला ताड़ीखाना के नजर हुसैन पुत्र अलाउद्दीन व लाल बाग के आले हसन के सामने 2100/– रूपये वापस करने को कहा था, इसलिए हम सब लोग कल ग्राम माडली, थाना मैनाठेर छोटे के यहां गये और आज सुबह करीब 8.00 बजे 2100/– रूपये लेकर व खर्चे के 40–50 रूपये जो मेरे पोते रमजानी के पास थे, वापस आ रहे थे। जब हम गांगन की पुलिया के पास से रतनपुर से खड़ंजा आ रहा है, के पास पहुँचे तो नजाकत अली व लियाकत व जहरूद्दीन हाथों में तमन्चे लिये व सैजुद्दीन लाठी लिये हुए निकल आये। नजाकत ने तमन्चा दिखाकर कहा कि जो रूपया है, निकाल कर रख दो और मेरे पोते रमजानी की कमीज की जेब से 2100/–रूपये निकालने चाहे तो उसने हाथापाई करके उसका तमन्चा पकड़ लिया। एकदम जहरूद्दीन उर्फ जबर ने मेरे पोते पर फायर कर दिया और फायर लगते ही नजाकत ने रूपये निकाल लिये। जब मैंने शोर मचाया तो लियाकत ने मेरे ऊपर फायर कर दिया जो मेरे लगा और हमारे 2100/–रूपये व 40–50 रूपये जो खर्चे के लिए थे, वह भी ले गये। हमारे दोनों के तमन्चे की चोटें आयी है। हम अस्पताल में दाखिल हो गये हैं और जब मैं यह लिखित रिपोर्ट नजर हुसैन के हाथ में दे रही हूँ। यह लूट सैजुद्दीन ने करायी है, क्योंकि वह हमारा पड़ौसी व रिश्तेदार है। उसे हमारा एवं रूपयों का मालूम था। रपट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

(3)– वादिनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स, जिला मुरादाबाद में मुकदमा अपराध संख्या–57/1981, अंतर्गत धारा–397,307,394 भारतीय दण्ड संहिता में अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत हुई, जिसका खुलासा जी0 डी0 में किया गया। मुकदमे की विवेचना प्रारम्भ की गई। दौराने विवेचना विवेचक द्वारा एफ0आई0आर0 की नकल केस डायरी में किता की तथा गवाहों के बयान अंकित किये। विवेचक द्वारा अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण नजाकत, लियाकत, जहीरूद्दीन व सैजुद्दीन के विरुद्ध धारा–394,397,307 भारतीय दण्ड संहिता में अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी। तदोपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 27.07.19981 के द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में तलब किया गया।

(4)– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.1981 को अभियुक्तगण को तलब कर आहूत किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रपत्रों की नकलें देने के उपरान्त उक्त मामला माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय व परीक्षणीय होने के कारण माननीय सत्र न्यायालय में परीक्षण हेतु दिनांक 05.05.2022 को सत्र उपार्पित किया गया, जिसके आधार पर दिनांक 05.05.2022 को सत्र परीक्षण संख्या–1104/2022, राज्य बनाम नजाकत अली आदि संस्थित हुई एवं जरिये अंतरण इस न्यायालय को परीक्षण हेतु प्राप्त हई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण अभियुक्तगण लियाकत पुत्र खैराती एवं सैजुद्दीन पुत्र सुद्दी, निवासीगण–ग्राम सक्टू नंगला, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद की मृत्यु हो जाने के कारण अभियुक्त सैजुद्दीन विरुद्ध वाद कार्यवाही दिनांक 22.04.2022 तथा अभियुक्त लियाकत के विरुद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 15.10.2025 को उपशमित की गयी।

(5)– उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर मौजूद प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण नजाकत व जहीरुद्दीन के विरूद्ध धारा–394, 307 सपठित धारा–34 एवं 397 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप दिनांक 16.07.2022 को तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद द्वारा विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की याचना की। अतः मामला वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत हुआ।

(6)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी को परीक्षित कराया गया है–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी क्रमांक
1.	रमजानी	पी0 डब्लू0–1

(7)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी द्वारा कोई प्रपत्र साबित नहीं कराया गया है।

(8)– इस प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप दिनांक 16.07.2022 को विरचित किया गया है। उसके बाद से अभियोजन को अभियोजन साक्षीगण प्रस्तुत करने हेतु काफी समय दिया गया, परन्तु अभियोजन की ओर से मात्र एक साक्षी रमजानी को साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान न्यायालय द्वारा

अन्य साक्षीगण को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने हेतु अनेकों आदेशिकांए जारी की गयीं, परन्तु अभियोजन की ओर से अन्य किसी भी साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय के द्वारा हर सम्भव प्रयास करते हुए साक्षियों को तलब किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु उसके बावजूद भी अभियोजन द्वारा अन्य किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा थानाध्यक्ष, सिविल लाईन, मुरादाबाद द्वारा आख्या प्रेषित की गयी कि "माननीय न्यायालय में विचाराधीन मु0 अ0 सं0–57/1981, धारा–394, 307, 397 भारतीय दण्ड संहिता सम्बन्धित वाद संख्या–1104/2022 से संबंधित साक्षी समन 1– नजर हुसैन पुत्र प्यारे, 2– आले हसन पुत्र प्यारे, 3– महराजुद्दीन पुत्र सुद्दी, निवासीगण सकटू नंगला, थाना मूंढापाण्डे, जनपद मुरादाबाद 4– उ0 नि0 कुबेर सिंह, 5– एच.एम. रामचन्द्र शर्मा की तामीला मुझे प्रभारी निरीक्ष द्वारा हे0 कां0 412 अशरफ से करायी गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि उपरोक्त साक्षीगण के संबंध में निरंतर जानकारी करने के उपरान्त भी कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिल सकी है तथा भविष्य में भी मिलने की सम्भावना नहीं हैं।" अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पत्रावली की आदेश पत्रिका पर इस आशय का कथन अंकित किया गया कि, "उक्त वाद वर्ष 1981 का है और काफी प्राचीन है तथा इस वाद से संबंधित गवाहान थाना प्रभारी निरीक्षक, थाना सिविल लाईन की रिपोर्ट के अनुसार गवाहान मिलने की भविष्य में सम्भावना नहीं है। इस कारण से उक्त वाद में अब वर्तमान में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है।" तदोपरान्त थाना हाजा से प्राप्त गवाहान की आख्यानुसार व अभियोजन के उक्त कथन के अनुसार अभियोजन साक्ष्य दिनांक 03.08.2026 को समाप्त किया गया तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर मौजूद अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणितकता को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता हेतु नियत की गयी।

(9)– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 04.08.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा समान रूप से घटना को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 रमजानी के बयान के संबंध में कथन किया है कि "पता नहीं।" मुकदमा चलने का कारण "पता नहीं" बताया गया है। सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के कथन से इन्कार करते हुए उनके द्वारा कोई अतिरिक्त कथन नहीं किया गया है।

(10)– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

(11)– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों का विश्लेषण करने से पूर्व अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत किये गये कथनों के सारांश का उल्लेख करना आवश्यक एवं समीचीन होगा जो निम्नवत् हैः–

(12)– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 रमजानी पुत्र नसीर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। अब से लगभग 42 वर्ष पूर्व घटना से एक माह पहले दिलपुरा में जमीन का सौदा छोटे से किया था। जमीन लगभग 6 बीघा थी जो सौदा मैंने 8000/–रूपये में छोटे व सैजुद्दीन की मौजूदगी में 2100/–रूपये बयाना देकर किया था। इस सौदे में अली हुसैन व नजर हुसैन भी थे। इनकी मौजूदगी में बयाने के रूपये दिये थे। उसके कुछ दिन बाद जमीन बेचने का सौदा कैंसिल हो गया और छोटे ने नजर हुसैन व अली हुसैन के सामने बयाने के 2100/–रूपये वापस कर दिये थे। मैं व वादी मुकदमा नगीना रात को मड़ावली में रुक गये और सुबह को वापस अपने गांव को चले। जब हम सुबह 08:00 बजे चौराहे पर गांगन की पुलिया के पास आये तो खड़ंजे व सड़क के नजदीक नजाकत, शहजुद्दीन, जहीरूद्दीन व लियाकत ने घेर लिया। नजाकत ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा और मेरी सामने से कोलिया भर ली और तमन्चा दिखाया। 2–3 कदम की दूरी पर जहीरूद्दीन खड़ा था। मेरे ऊपर फायर किया और नजाकत ने मेरी जेब से 2100/–रूपये निकाल लिये। मेरी दादी नगीना ने शोर मचाया तो लियाकत ने उस पर तमन्चे से फायर कर दिया था। हमारे साथ में आले हसन व नजर हुसैन डर की वजह से दूर खड़े रहे और यह चारों लोग लियाकत, नजाकत, जहीरूद्दीन तथा शहजुद्दीन पैसे लूटकर भाग गये थे। शहजुद्दीन के पास लाठी व शेष के पास कट्टे थे। इस घटना में मेरे 3 जगह छर्रे लगे थे। एक छर्रा बांयी बाजू में, एक बांयी सीने पर और एक बांयी जाँघ पर लगे थे और मेरी दादी नगीना के भी छर्रे लगे थे। नजर हुसैन व आले हसन घोड़ा तांगा करके अस्पताल ले आये। वहां पर हमारी डॉक्टरी करायी। मेरी दादी नगीना ने नजर हुसैन के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। उक्त वाद की वादिनी नगीना की मृत्यु लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जो घटना मेरे साथ घटित हुई है, दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

(13)– अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से

अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित होता है। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते हैं तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

(14)– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियोजन की ओर से जो साक्षी परीक्षित कराया गया है, उसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(15)–प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि, क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

(16)– इस वाद के निर्णय हेतु, निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, किया जाना हैः–

i. **क्या, दिनांक 15–01–1981 को समय 08:00 बजे, स्थान गांगन की पुलिया के पास रतनपुर से आ रहे खरन्जे, थाना सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद में अभियुक्तगण ने एकराय होकर लूट करने के आशय के वादिनी मुकदमा नगीना व उसके पोते रमजानी को लाठी डण्डों से मारपीट कर घोर उपहति कारित की ?**

ii. **क्या, 15–01–1981 को समय 08:00 बजे, स्थान गांगन की पुलिया के पास रतनपुर से आ रहे खरन्जे, थाना सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद में अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा नगीना व उसके पोते रमजानी के साथ मारपीट कर उपहति कारित की गयी तता नगीना व रमजानी के ऊफर इन परिस्थितियों में व इस ज्ञान के साथ तमन्चे से फायर किये कि यदि अभियुक्तगण द्वारा किये गये फायर से वादिनी मुकदमा व रमजानी की मृत्यु हो जाती, तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते?**

iii. **क्या, 15–01–1981 को समय 08:00 बजे, स्थान गांगन की पुलिया के पास रतनपुर से आ रहे खरन्जे, थाना सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद में अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा नगीना व उसके पोते**

रमजानी के साथ लाठी डण्डों से मारपीट कर व डरा धमकाकर रमजानी की जेब से 2100/– रूपये की लूट कारित की ?

(17)– अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–394, 307 सपठित धारा–34, धारा–307 सपठित धारा–34 का आरोप विरचित किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं–

धारा–307 भा0 दं0 सं0– "जो कोई, किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो (आजीवन कारावास) से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा इसमें पूर्व वर्णित है।"

धारा–394 भा0 दं0 सं0– "यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त होगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

धारा–397 भा0 दं0 सं0– "यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जाएगा, सात वर्ष से कम का नहीं होगा।"

(18)– उपरोक्त सभी विचारणीय बिन्दु में साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

(19)– प्रकरण में वादिनी मुकदमा नगीना ने अपनी तहरीर में कथन किया गया है कि हमारे ग्राम में ग्राम माड़ली, थाना मैनाठेर के छोटे शेख की करीब 6–7 बीघा जमीन का सौदा मेरे पोते रमजानी से हो गया था। उसने 2100/– रूपये भी छोटे शेख को दे

दिये थे, लेकिन सौदा कैन्सिल हो गया था। दिनांक 14.01.1981 को छोटे ने नजर हुसैन व आले हसन के सामने 2100/– रूपये वापस करने को कहा था, इसलिए हम सब लोग कल ग्राम माड़ली, थाना मैनाठेर छोटे के यहां गये और आज सुबह करीब 8.00 बजे 2100/– रूपये लेकर व खर्चे के 40–50 रूपये जो मेरे पोते रमजानी के पास थे, वापस आ रहे थे। जब हम गांगन की पुलिया के पास से रतनपुर से खड़ंजा आ रहा है, के पास पहुँचे तो नजाकत अली व लियाकत व जहरूद्दीन हाथों में तमन्चे लिये व सैजुद्दीन लाठी लिये हुए निकल आये। नजाकत ने तमन्चा दिखाकर कहा कि जो रूपया है, निकाल कर रख दो और मेरे पोते रमजानी की कमीज की जेब से 2100/–रूपये निकालने चाहे तो उसने हाथापाई करके उसका तमन्चा पकड़ लिया। एकदम जहरूद्दीन उर्फ जबर ने मेरे पोते पर फायर कर दिया और फायर लगते ही नजाकत ने रूपये निकाल लिये। जब मैंने शोर मचाया तो लियाकत ने मेरे ऊपर फायर कर दिया जो मेरे लगा और हमारे 2100/–रूपये व 40–50 रूपये जो खर्चे के लिए थे, वह भी ले गये। हमारे दोनों के तमन्चे की चोटें आयी है। मैं यह लिखित रिपोर्ट नजर हुसैन के हाथ में दे रही हूँ। यह लूट सैजुद्दीन ने करायी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण की वादिनी मुकदमा श्रीमती नगीना पत्नी छोटे, निवासी सकटू नंगला, थाना मूढापाण्डे, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु समन जारी किये गये थे। उक्त समन पर आख्या अंकित है कि "उक्त समन की तामील मुझ हेड कां0 रोहित कुमार, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद द्वारा अमल में लायी गयी तो परिवार व ग्राम के सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त साक्षी की 15 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। ग्राम प्रधान की तहरीर संलग्न है।" पत्रावली में संलग्न ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सकटू नंगला, विकास खण्ड मूंढापाण्डे, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद के प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त साक्षी की मृत्यु समन तामील के समय से लगभग 15 वर्ष पूर्व होना दर्शित किया गया है। पी0 डब्लू0–1 रमजानी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में भी वादिनी मुकदमा श्रीमती नगीना की मृत्यु हो जाने का कथन किया है। अतः वादिनी मुकमदा श्रीमती नगीना की मृत्यु हो जाने के कारण उसे न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।

(20)– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–1 रमजानी ने अपनी मुख्या परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण को मैं जानता हूँ। जिस दिन घटना हुई थी, उस दिन चार लोग ढाटा बाँधे हुए थे, मैंने अभियुक्तगण को

नहीं पहचाना था। किसने फायर किया था, मुझे नहीं पता। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि घटना वाले दिन, जिन्होंने घटना की थी, वे यह लोग नहीं हैं। घटना में हाजिर अदालत अभियुक्तगण नहीं थे। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कथन किया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण मेरे गांव के हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने कथन किया कि जिन्होंने गोली चलायी थी, उनके ढाटे बंधे हुए थे। हाजिर अदालत अभियुक्तगण मेरे गांव के हैं। मैं इन्हें पहचानता हूँ। घटना वाले दिन हाजिर अदालत अभियुक्तगण घटनास्तल पर मौजूद नहीं थे।

यह साक्षी प्रस्तुत प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में तमन्चे के छर्रे लगने का कथन किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में घटनास्थल पर उपस्थित होने का तो कथन किया है, परन्तु अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण मेरे गांव के हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। घटना वाले दिन चार लोग ढाटा बाँधे हुए थे, मैंने अभियुक्तगण को नहीं पहचाना था। घटना में हाजिर अदालत अभियुक्तगण नहीं थे। इस प्रकार इस साक्षी ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है। न्यायालय द्वारा इस साक्षी से हाजिर अदालत अभियुक्तगण के बारे में पूछा गया तो इस साक्षी ने कथन किया कि हाजिर अदालत अभियुक्तगण मेरे गांव के हैं। मैं इन्हें पहचानता हूँ। घटना वाले दिन हाजिर अदालत अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। जिससे स्पष्ट है कि इस साक्षी ने इस प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इन्कार किया है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित नहीं की गयी है। साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये गये हैं।

(21)– प्रस्तुत प्रकरण में घटना वर्ष 1981 की है तथा अभियुक्तगण विरूद्ध आरोप दिनांक 16.07.2002 को विरचित किया जा चुका है। उसके बाद से अभियोजन को शेष साक्षीगण प्रस्तुत करने हेतु काफी समय प्रदान किया गया, परन्तु अभियोजन की ओर से मात्र एक साक्षी रमजानी को साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान न्यायालय द्वारा अन्य साक्षीगण को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने हेतु अनेकों आदेशिकांए जारी की गयीं, परन्तु अभियोजन की ओर से अन्य किसी भी साक्षी को

साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय के द्वारा हर सम्भव प्रयास करते हुए साक्षियों को तलब किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु उसके बावजूद भी अभियोजन अन्य किसी भी साक्षी को प्रस्तुत करने में विफल रहा। थानाध्यक्ष, सिविल लाईन, मुरादाबाद द्वारा आख्या प्रेषित की गयी कि "माननीय न्यायालय में विचाराधीन मु0अ0सं0–57/1981, धारा–394,307,397 भारतीय दण्ड संहिता सम्बन्धित वाद संख्या–1104/2022 से संबंधित साक्षी समन 1– नजर हुसैन पुत्र प्यारे, 2– आले हसन पुत्र प्यारे, 3– महराजुद्दीन पुत्र सुद्दी, निवासीगण सकटू नंगला, थाना मूंढापाण्डे, जनपद मुरादाबाद 4– उ0नि0 कुबेर सिंह, 5– एच.एम. रामचन्द्र शर्मा की तामीला मुझे प्रभारी निरीक्ष द्वारा हे0कां0 412 अशरफ से करायी गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि उपरोक्त साक्षीगण के संबंध में निरंतर जानकारी करने के उपरान्त भी कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिल सकी है तथा भविष्य में भी मिलने की सम्भावना नहीं हैं।" अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पत्रावली की आदेश पत्रिका पर इस आशय का कथन अंकित किया गया कि, "उक्त वाद वर्ष 1981 का है और काफी प्राचीन है तथा इस वाद से संबंधित गवाहान थाना प्रभारी निरीक्षक, थाना सिविल लाईन की रिपोर्ट के अनुसार गवाहान मिलने की भविष्य में सम्भावना नहीं है। इस कारण से उक्त वाद में अब वर्तमान में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है।" तदोपरान्त थाना हाजा से प्राप्त गवाहान की आख्यानुसार व अभियोजन के उक्त कथन के अनुसार अभियोजन साक्ष्य दिनांक 03.08.2026 को समाप्त किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Hussainara Khatoon & Ors vs Home Secretary, State Of Bihar, AIR 1979 SUPREME COURT 1369** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में प्रत्येक नागरिक को त्वरित विचारण का अधिकार है व त्वरित विचारण दाण्डिक न्याय प्रणाली की आत्मा है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Abdul Rehman Antulay & Ors vs R.S. Nayak & Anr AIR 1979 SC 1377** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि त्वरित न्याय के कुछ नियम बनाये, परन्तु साक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है और त्वरित विचारण में विलम्ब का कारण अभियोजन पक्ष का होगा।

(22)– यह प्रकरण वर्ष 1981 का अर्थात् करीब 45 वर्ष पुराना है। अभियुक्तगण प्रकरण की लगातार पैरवी करते रहे हैं। अभियुक्तगण के लिए यह अपने आप में किसी

सजा से कम नहीं है। त्वरित निस्तारण पाना अभियुक्त का अधिकार है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित विधि व्यवस्था **Surya Nath & Another Vs State of U.P. & Another, Dated 01–12–2011** में निर्णीत किया गया है कि "Right to speedy trial in all criminal persecutions is an inalienable right Under Article 21 of constitution."

(23)– उपरोक्त विवेचन तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र एक अभियोजन साक्षी को परीक्षित कराया गया है, यह साक्षी अपनी प्रति परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित न करने का कथन स्वीकार करते हुए पक्षद्रोही हो गया है। अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने के तथ्य को सन्देह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है।

(24)– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण नजाकत व जहीरुद्दीन के विरुद्ध धारा–394, 307 सपठित धारा–34, 397 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपित आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण नजाकत एवं जहीरुद्दीन सन्देह का लाभ पाते हुए उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–1104/2022, मुकदमा अपराध संख्या–57/1981, थाना सिविल लाईन, जिला मुरादाबाद में अभियुक्तगण नजाकत पुत्र खैराती एवं जहीरुद्दीन पुत्र वशीरुद्दीन, निवासीगण ग्राम सक्टू नंगला, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद को अन्तर्गत धारा–394, 307 सपठित धारा–34, 397 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में दौरान विचारण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त करते हुये उनके प्रतिभूगणों को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से धारा–437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा–481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये जमानतनामें निर्णय की तिथि से अग्रिम छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 04.08.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 04.08.2026
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद ।